भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2655
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को सहायता

2655. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कितने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन प्रदान किए गए हैं और उक्त ड्रोनों की जिलावार उपयोग दर क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, विशेषकर मैनपुरी जिले में, किसानों को ड्रोन किराये पर देने की सेवाओं के माध्यम से इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा अर्जित औसत मासिक आय कितनी है;

(ग) इन सेवाओं का लाभ उठाने वाले छोटे और सीमांत किसानों की संख्या कितनी है और लागत बचत और उपज में सुधार का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) घटिया ड्रोन बैटरियाँ, समय पर रखरखाव सहायता का अभाव, किसानों द्वारा अपर्याप्त माँग, प्रशिक्षण के बाद सहायता में कमी और 'ड्रोन दीदी' के लिए व्यावसायिक सुविधा जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना, क्षमता में सुधार करना, फसल उपज में वृद्धि और संचालन लागत में कमी लाना और स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त बनाना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। इन 1094 ड्रोनों में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वितरित किए गए हैं।

जिलेवार आवंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य की ड्रोन दीदियों को 114 ड्रोन प्रदान किए गए हैं और जिलेवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इन ड्रोनों का उपयोग औसतन संपूर्ण वर्ष में सात माह के लिए किया जाता है। यूपीएसआरएलएम द्वारा इन ड्रोनों के मासिक उपयोग का विशिष्ट जिलेवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। मैनपुरी जिले की ड्रोन दीदियों को चार ड्रोन प्रदान किए गए हैं और यूपीएसआरएलएम द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, ड्रोन सेवाओं से उनकी अतिरिक्त वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए है।

(घ): नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन एक पैकेज के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं जिसमें तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए स्प्रे असेंबली के साथ बेसिक ड्रोन, ड्रोन ले जाने वाले बॉक्स, मानक बैटरी सेट, डाउनवार्ड फेसिंग कैमरा, डूअल-चैनल वाला फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, एनीमोमीटर, पीएच मीटर और सभी मदों पर 1 वर्ष की ऑनसाइट वारंटी शामिल है। पैकेज में 04 अतिरिक्त बैटरी सेट, एक अतिरिक्त प्रोपेलर सेट (प्रत्येक सेट में 6 प्रोपेलर होते हैं), नोजल सेट, डूअल चैनल वाला फास्ट बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर हब, एक वर्ष का समग्र बीमा, 2 वर्षीय वार्षिक रखरखाव संविदा और जीएसटी भी शामिल है । एसएचजी के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को 15 दिनों का प्रशिक्षण और एसएचजी के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य को 5 दिनों का प्रशिक्षण ड्रोन पैकेज के एक पार्ट के रूप में प्रदान किया जाता है।

राज्य स्तरीय समिति में राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, दीनदयाल अंत्योदय योजना के राज्य मिशन निदेशालय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राज्य सहकारिता विभाग, अग्रणी बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामित प्रमुख उर्वरक कंपनी (एलएफसी) के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के सदस्य शामिल हैं। यह समिति ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त समूहों के चयन, ड्रोन प्रदान करने के लिए चिन्हित समूहों में राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील महिला एसएचजी का चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों का चयन, जिलेवार ड्रोन उपयोग का आकलन, मौजूदा अंतराल की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं, एलएफसी और कीटनाशी कंपनियों के समन्वय से चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करना/सुनिश्चित करना आदि के लिए जिम्मेदार है। ड्रोन परिवहन के मुद्दे को हल करने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत पहचाने गए महिला स्वयं सहायता समूहों को बहु-उपयोगी मशीनों की खरीद के लिए 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जिनका उपयोग ड्रोन परिवहन के रूप में भी किया जाता है।

अनुबंध-I

उत्तर प्रदेश में जिलेवार महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए हैं

क्रम सं.	जिले का नाम	स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें एलएफसी द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए
1.	आगरा	3
2.	अलीगढ़	2
3.	अंबेडकर नगर	2
4.	अमेठी	4
5.	अयोध्या	6
6.	बदायूं	1
7.	बलिया	1
8.	बाराबंकी	4
9.	बरेली	4
10.	बस्ती	1
11.	बिजनौर	1
12.	बुलन्दशहर	1
13.	चंदौली	1
14.	देवरिया	2
15.	एटा	2
16.	गोंडा	2
17.	गोरखपुर	7
18.	हरदोई	2
19.	हाथरस	1
20.	जालौन	1
21.	जौनपुर	4
22.	झांसी	3
23.	कुशीनगर	2
24.	लखीमपुर खीरी	3
25.	महाराजगंज	2
26.	महोबा	1
27.	मैनपुरी	4
28.	मेरठ	2
29.	मुरादाबाद	3
30.	प्रतापगढ़	3
31.	प्रयागराज	16
32.	रायबरेली	2
33.	संत कबीर नगर	2
34.	शाहजहांपुर	3
35.	सीतापुर	4
36.	सोनभद्र	1
37.	सुल्तानपुर	1
38.	उन्नाव	1
39.	वाराणसी	9
	कुल	**114**

*****